अतः पत्रावली आई ...

... पेश हो।

28/1/2020 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रस्तुत। वकील पक्षकारान की दिनांक 22.11.2019 को की गई बहस पर मनन, पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों यथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी, दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 02.08.1?, जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2, रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक लूणियाँ, नजरी नक्शा चक 5 MD 'B' मु.न. 122/10 एवं दस्तावेज बैयनामा अराजी जरई निष्पादन दिनांक 06.09.2019 के अवलोकन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 'क' के अध्ययन पश्चात न्यायालय का निम्नलिखित निष्कर्ष है-

'प्रार्थी भीमसैन पुत्र लिखमाराम की चक 5 MD 'B' के मु.नं. 39 प.नं. 122/10 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 15 बीघा भूमि के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आवश्यक है एवं प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता न तो उपलब्ध है एवं न ही लघुत्तम है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायालय की राय में समीचीन है।'

—: निर्णय :—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील अनूपगढ़ के चक नं. 5 एम.डी. 'बी' के मु.नं. 39 पं.न. 122/10 के किला नं. 1 एवं 2 में से (इसी चक के मु.न. 122/9 के किला न. 21 एवं 22 की वट के चिपता हुआ) 12 फुट चौड़ा एवं 330 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि तक पंहुच हेतु स्वीकृत

Scanned by CamScanner

किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त स्वीकृत रास्ते का नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा उक्त आदेश का निष्पादन निम्नलिखित बिंदुओं के दृष्टिगत/पालना परचात् ही किया जावेगा-

(i) चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त स्वीकृत रास्ते में आने वाली अपनी किला नं. 2 की 12×165 फुट भूमि का बेचान प्रार्थी को जरिए बैयनामा दिनांक 06.09.2019 किया जा चुका है, अत: अप्रार्थी सं. 1 को उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने के बदले कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

(ii) चूंकि इस न्यायालय का किसी इकरारनामें की वैधानिकता को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, अत: या तो प्रार्थी किसी सक्षम न्यायालय से पत्रावली पर संलग्न इकरारनामा दिनांक 02.08.13 के संबंध में अनुतोष प्राप्त करें अथवा अप्रार्थी संख्या 2 को उसकी किला नं. 1 की रास्ते में आने वाली 12×165 फुट भूमि के बदले उक्त भूमि के मूल्य का डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.02.04 12:20:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: